न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 30/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/128

अपीलाण्ट :–
पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान, पता : 68, पुरानी सब्जी मण्डी, पाली–मारवाड़ राजस्थान जरिये वर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल पालीवाल पुत्र हरीवल्लभजी पालीवाल, जाति – पालीवाल ब्राह्मण, निवासी 01, सुभाष नगर, कुन्हाड़ी थाने के सामने कुन्हाडी, गिरधरपुरा, कोटा – 324008 (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार पाली, तहसील व जिला – पाली,
2. राधाकिशन पालीवाल पुत्र खेतुलाल जी पालीवाल, जाति – पालीवाल ब्राह्मण, निवासी 90 गोल्फ कोर्स स्कीम जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
सरकारी पैरोकार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **27.10.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 666 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 22.06.2016 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी वक्त बहस उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार उपस्थित। रेस्पो. संख्या 02 को जारी सम्मन बाद तामिल न्यायालय समय में बार–बार आवाजे लगाये जाने के बाद भी वक्त बहस अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत बाबत् आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी पी सी पर अधिवक्ता अपीलाण्ट को सुना गया व साथ ही अन्तिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि सरहद मौजा राजस्व ग्राम – इन्द्रा नगर, पटवार हल्का खेतावास, तहसील – पाली में हाल खसरा नम्बर 589 रकबा 14.6253 हैक्टेयर (रकबा 90 बीघा 700 बिस्वा), किस्म बारानी दोयम की सह–खातेदारी कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी संस्थान वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार 1/16 वां हक–हिस्सा की खातेदार है। जिस पर अपीलार्थी संस्थान का बहैसियत मालिक के वक्त खरीद से कब्जा–काश्त एवम् उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक आज दिन तक कायम है। उक्त हक–हिस्सा कृषि भूमि खातेदार मेवाराम पुत्र श्री हजारीजी, जाति – ओड़, निवासी ग्राम – इन्द्रा नगर, तहसील – पाली एवं चन्दु पुत्र श्री हजारीजी कौम ओड़ साकिन गावं इन्द्रानगर तहासील पाली से दो अलग–अलग पंजीबद्ध विक्रय–विलेखों से

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

खरीद कर रखी है। उक्त पंजीबद्ध विक्रय–विलेखों के आधार पर पटवारी हल्का खेतावास द्वारा जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 666 भरा गया और भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पटवारी हल्का के दर्ज इन्द्राज को सही मानते हुए अपनी टिप्पणी करते हुए इतिश्री कर दी तथा उक्त दोनों रिपोर्ट इन्द्राज को सही मानते हुए बिना माईण्ड एप्लाई किये ही नायब तहसीलदार, पाली द्वारा स्वीकृत कर अपना आदेश पारित कर दिया जबकि सही एवम् वास्तविक रूप से जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलार्थी पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान, पता : 68, पुरानी सब्जी मण्डी, पाली–मारवाड़ (राजस्थान) को ही क्रेता के रूप में पटवारी हल्का को इन्द्राज करना था जो विधिपूर्ण था। पटवारी हल्का द्वारा संस्थान के अध्यक्ष श्री राधाकिशन पालीवाल पुत्र खेतुलालजी पालीवाल, जाति–पालीवाल ब्राह्मण, निवासी 90, गोल्फ कोर्स स्कीम, जोधपुर, तहसील–जोधपुर, जिला–जोधपुर का नाम, वल्दियत व पता को विधिक रूप से वर्णित नहीं करना था जो किया गया वह गलत इन्द्राज होने से उक्त इन्द्राज काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण के अन्तर्गत आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 रीड विथ 151 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के पैरा संख्या .02 में सहवन से जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 666 की वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 585 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के स्थान पर खसरा संख्या 589 रकबा 14.6253 हैक्टेयर अंकित हो गई है। अतः अपीलाण्ट का उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट के उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में टंकण त्रुटि होने से वास्तविक खसरा संख्या 585 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के स्थान पर खसरा संख्या 589 रकबा 14.6253 हैक्टेयर दर्ज हो गया। प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता अपीलाण्ट का उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तद्नुरूप ही अन्तिम निर्णय पारित किया जाता है।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि जैर अपील ग्राम इन्द्रानगर के नायब तहसीलदार पाली के नामान्तरकरण संख्या 666 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अधिवक्ता अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि ग्राम इन्द्रानगर के खसरा संख्या 585 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि अलग–अलग खातेदारों से पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान जरिये अध्यक्ष राधाकिशन पालीवाल के नाम से जरिये विक्रय विलेख दिनांक 14.06.2016 एवं दिनांक 09.06.2016 क्रय की गई। उक्त विक्रय विलेख के विपरीत जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जिसमें 'पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान जरिये अध्यक्ष' ही दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अपना माईण्ड अप्लाई किये बिना उक्त जैर नामान्तरकरण ' पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान जरिये अध्यक्ष राधाकिशन पालीवाल' दर्ज किया जो कि विधि विरूद्ध है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध हस्ब पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 14.06.2016 एवं दिनांक 09.06.2016 का गहनता से अवलोकन किया तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम इन्द्रानगर के आराजी संख्या 585 रकबा 4.14

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

बीघा पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान जरिये अध्यक्ष श्री राधाकिशन पालीवाल पुत्र खेतुलालजी पालीवाल जाति पालीवाल ब्राह्मण के नाम से ही क्रय की गई है। नामान्तरकरण प्रविष्टि की उद्देश्य राजस्व अभिलेखों में स्वामित्व का अभिलेखन करना है एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा जैर हस्ब पंजीकृत विक्रय–विलेख में वर्णित विवरण के अनुसार हुबहू दर्ज किया गया है जो विक्रय–विलेख में अंकित है। साथ ही अपीलाण्ट द्वारा यह भी नहीं दर्शाया गया कि जैर नामान्तरकरण से उन्हें किसी प्रकार की विधिक हानि या स्वामित्व विवाद उत्पन्न हुआ हो। अतः हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर नामान्तरकरण के अन्तर्गत पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते।

लिहाजा जैर नामान्तरकरण संख्या 666 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 22.06.2016 में कोई त्रुटि अथवा विधि–विरूद्धता परिलक्षित नहीं होने से जैर अपील निराधार पाई जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **27.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली